

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-1184-88 दिनांक 31.10.2019 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न आदेश जारी किया जाता है:

कार्यालय के पत्र संख्या-591, दिनांक 13/06/2019 के संदर्भ में केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड भारत सरकार द्वारा बॉयलर निरीक्षण के लिए अधिकृत ऐजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य में 1000M² से अधिक Heating Surface के स्थापित बॉयलर्स का निरीक्षण शुल्क बॉयलर अधिनियम 1950 की धारा 385(a) में निर्धारित शुल्क का दोगुना से अधिक चार्ज नहीं किया जायेगा।

(आर० के० सिंह)

मुख्य बॉयलर निरीक्षण, उत्तराखण्ड
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

कार्यालय मुख्य बॉयलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

पत्र संख्या-1224-26

दिनांक: 13, 11/2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक संगठन, मोहब्बेवाला इण्डस्ट्रियल एरिया, देहरादून।
4. समस्त अधिकृत थर्ड पार्टियाँ।
5. समस्त कारखाने जिनमें 1000M² हीटिंग सर्फेस एरिया से ऊपर के बॉयलर स्थापित हैं।

(आर० के० सिंह)

मुख्य बॉयलर निरीक्षण, उत्तराखण्ड
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।